

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम, उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या 577/2020

प्रार्थी :-

जुगलकिशोर पुत्र श्री रामूराम जाति दर्जी निवासी ग्राम खारडा मेवासा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :-

किशनाराम पुत्र श्री रामूराम जाति दर्जी निवासी ग्राम खारडा मेवासा तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम खारडा मेवासा पटवार क्षेत्र खारडा मेवासा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 285/3 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा 08 बिश्वासी भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आयी हुई है। उक्त भूमि पूर्व में सामलाती भूमि थी जिसमें प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदारों ने आपसी रजामन्दी से बटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खाते दर्ज किए तथा विभाजन करवाया। प्रार्थी की भूमि के पडौस में पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा संख्या 285/2 की भूमि आयी हुई है। अप्रार्थी ने प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के पश्चिम दिशा तरफ की सीमाओ को आगे पीछे करके खुद खुद करना शुरू कर दिया था इसलिए प्रार्थी ने सीमाकन की राशि राजकोश में जमा करवाकर के नियमानुसार हल्का पटवारी से दिनांक 10.07.2020 को सीमाज्ञान करवाया। जिस पर नाप करके हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह स्थापित किये उस स्थान पर प्रार्थी पत्थर के खुटे रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थी नहीं मान रहे है व मौके पर लडाई झगडा करने पर अमादा है। इसलिए सीमाज्ञान के विवाद बाबत प्रार्थी के पास उक्त पत्थरगडडी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए प्रार्थी पत्थर गडडी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। सीमाकन रिपोर्ट की नकल पेश की गई। अप्रार्थी, प्रार्थी की भूमि पर पत्थर के खुटे नहीं रोपने देकर

अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं पर पत्थर गड्डी करवाना चाहता है। जबकि अप्रार्थी ने अपनी भूमि का न तो सीमाज्ञान करवाया तथा न ही प्रार्थी के द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर के खुटे रोपने दे रहे हैं। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि पटवारी की सीमाकन रिपोर्ट के अनुसार तहसील ओसियों के राजस्व ग्राम खारडा मेवासा के खसरा सख्या 285/3 के मौके पर पत्थर गड्डी करवाने का आदेश फरमावे साथ ही एस.एच.ओ. करवड को आदेश फरमावे कि उक्त पत्थर गड्डी के कार्य सम्पादन में समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे। ताकि मौके पर किसी प्रकार की अशान्ति नही हो तथा सुचारु रूप से पत्थर गड्डी का कार्य सम्पादित किया जा सके।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किए जिस पर बावजूद नोटिस प्रेषित के अनुपस्थित जिस पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि खसरा सख्या 285/3 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी पत्थरगड्डी करवाना चाहता है।


पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा सख्या 285/3 का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.07.2020 को सीमाज्ञान किया गया है तथा उक्त फर्द में मौतबीर के रूप में भी पडौसी खातेदारो के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। उक्त भूमि प्रार्थी अकेले की खातेदारी की भूमि है जो प्रार्थी को बटवाडा के जरिये प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील ओसियों के राजस्व ग्राम खारडा मेवासा के खसरा सख्या 285/3 रकबा 13 बीघा 05 विश्वा भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगड्डी की जाने बाबत तहसीलदार ओसियों को आदेश दिया जाता है तथा पुलिस थाना करवड को आदेशित किया जाता है कि उक्त पत्थरगड्डी समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे ताकि मौके पर उक्त पत्थरगड्डी शान्ति व्यवस्था बनी रहे।


(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियों

आदेश आज दिनांक 01.12.2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियों